

प्रेस नोट—जनपद मुजफ्फरनगर
दिनांक—08.09.2025

- अवैध शस्त्रों का क्रय—विक्रय करने वाले गैंग का पर्दाफाश, दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा 10 हजार रुपये के इनामी 01 बाल अपचारी को थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया —

दिनांक 08.09.2025 को थानाध्यक्ष श्री मोहित चौधरी थाना शाहपुर मय हमराहीगण द्वारा अवैध शस्त्रों का क्रय—विक्रय करने वाले गैंग का पर्दाफाश, दौराने पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तगण 1. प्रणव पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम खेडा जट थाना मंगलौर, हरिद्वार व 2. अनस पुत्र हमदम निवासी तासीपुर थाना मंगलौर, हरिद्वार उत्तराखण्ड व 10 हजार रुपये का इनामी 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद पिस्टल .32 बोर, 02 अदद तमन्चा 12 बोर, 05 अदद तमन्चा 315 बोर, 08 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 09 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फंसा हुआ) व 03 मोबाईल फोन आईफोन आदि बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 259/2025 धारा 109(1),61(2) बीएनएस व 3/5/9/25(8)/28 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना ककरौली पुलिस द्वारा ट्यूबवैल/ट्रांसफार्मर से केबिल व सामान चोरी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तगण को दौराने पुलिस मुठभेड़ किया गया गिरफ्तार, चोरी के 05 अभियोगों का सफल अनावरण।—

दिनांक 08.09.2025 को थानाध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह थाना ककरौली मय हमराहीगण द्वारा थाना ककरौली पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 121/25 धारा 136,137 विधुत अधिनियम 2. मु0अ0सं0 112/25 धारा 136,137 विधुत अधिनियम 3. मु0अ0सं0 115/25 धारा 305ए,317(2),307,317(4),324(4),331(4) बीएनएस 4. मु0अ0सं0 104/25 धारा 305ए,317(2),307,317(4),331(4) बीएनएस व थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. आमिर आलम पुत्र अनीस निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर 2. मुजम्मिल उर्फ छोटा पुत्र जागम निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर 3. आबिद पुत्र हनीफ निवासी नयागांव थाना भोपा, मुजफ्फरनगर व 4. कामिल पुत्र मेहराज्जुदिन निवासी मल्हपुरा थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर को नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमन्चा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 35 किलोग्राम ट्यूबवैल का तार (कबाड़ी कामिल की दुकान से बरामद), 15 किलोग्राम ट्रांसफार्मर की कॉएल, 01 श्री व्हीली टेम्पो (चोरी का सामान ले जाने में प्रयुक्त), व चोरी करने के उपकरण— 01 लोहे का हथौडा, 01 प्लास्टिक का हथौडा, रिंच, पाना, प्लास, तार काटने का प्लास, 01 बैटरी, इन्वर्टर व बैटरी से चलने वाला कटर आदि बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 145/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/28 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

■ थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 08.09.2025 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री गोपाल सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 262/25 धारा 137(2),70(2) बीएनएस व 5^{जी}/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम कासमपुर बोडाहेडी थाना पथरी, हरिद्वार को मुखबिर की सूचना पर भोपा नहर पुल से गिरफ्तार किया गया।

■ थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 08.09.2025 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री तपन जयन्त मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 66/2016 धारा 128 सीआरपीसी में वारण्टी अभियुक्त विदेश कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम योगेन्द्र नगर थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

■ थाना भोपा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 08.09.2025 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री इतरत अली मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 288/25 धारा 218,221,224,352,351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम बेहडा थू थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया।

■ थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार—

दिनांक 08.09.2025 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार शर्मा, उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराहीगण द्वारा 1. वाद संख्या 736/9/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त सुक्का पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम खतौला थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर 2. वाद संख्या 240/9/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त राशिद पुत्र उवेश निवासी मौ0 कस्सावान थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर व 3. वाद संख्या 890/25 धारा 376,120बी,506 भादवि थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को अभियुक्तगणों के मस्कनों से गिरफ्तार किया गया।